रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2410] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2015/कार्तिक 15, 1937
No. 2410] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2015/KARTIKA 15, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

का.आ. 3016(अ).—जबकि, किन्हीं व्यक्तियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिए, आतंकवादी कृत्यों और उनसे संबंधित मामलों से निपटाने हेतु विधिविरुध् क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया है;

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) में, आतंकवादी संगठन को प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध किसी के रूप में उसी नाम से सक्रिय संगठन के अभिप्राय के रूप में परिभाषित किया गया है;

और जबकि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आतंकवादी संगठनों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है;

और जबकि नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] एक उग्रवादी संगठन, जो वर्ष 1988 से अस्तित्व में आया, भारत-म्यांमार सीमा, नागालैंड के दीमापुर, मोन, लांगलेंग, फेक, किफायरे, जुनहेबोटो एवं कोहिम जिलों में, अरूणाचल प्रदेश के चांगलांग, लांगडींग और तीरप जिलों में तथा मणिपुर, के तमेंगलाग और सेनापति जिलों के कुछ भागों में सक्रिय है तथा 'सम्प्रभु नागालैंड राज्य' के उद्देश्य को हासिल करने के लिए, संगठनात्मक रूप से तथा शस्त्रों एवं काडरों के स्तर पर, अपनी स्थिति मजबूत करता रहा है तथा इसने निर्दोष नागरिकों एवं सुरक्षा बलों की हत्या करके इस उदेश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में आतंकवाद का सहारा लिया है और लूटमार, जबरन धन वसूली करने, अपहरण करने और अंधाधुंध तरीके से बारूदी सुंरग बिछाने सहित अन्य हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है;

और जबकि एनएससीएन (के) की हाल ही की हिंसक एवं आतंकवादी गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं; अर्थात् :—

(i) भारत-म्यांमार सीमा पर दिनांक 6 फरवरी, 2015 को चांगलांग जिला, अरूणाचल प्रदेश के जयराम उप मंडल के अंतर्गत एक सुरक्षा बल कार्मिक तथा दो पोर्टरों की हत्या और 14वें असम राइफल्स के नौ सुरक्षा बल कार्मिकों गंभीर रूप से घायल करना ;

(ii) कोहिमा जिला, नागालैंड में इन्दिरा गांधी स्टेडियम के पास असम राइफल्स के 19 कार्मिकों पर अंधाधुंध गोली चलाकर 26 मार्च, 2015 को असम राइफल्स के चार कार्मिकों को घायल करना ;

(iii) पी डब्ल्यू डी कॉलोनी, वोखा शहर, जिला वोखा, नागालैंड में 26 मार्च, 2015 को बम धमाका कराकर चार नागरिकों को घायल करना;

(iv) मोन जिला, नागालैंड के तोबू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चांगलांगशू गांव में 3 मई, 2015 को घात लगाकर हमला करके असम राइफल्स के सात सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या एवं नौ सुरक्षा बल कार्मिकों को घायल कर, नागा प्रादेशिक सेना के एक सुरक्षा बल कार्मिक की हत्या ;

(v) सैन्य दस्ते पर घातक हथियारों एवं रॉकेट चालित ग्रेनेडों से हमला करके चंदेल जिला, मणिपुर में 4 जून, 2015 को 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 सैन्य कार्मिकों की हत्या तथा 15 सैन्य कार्मिकों को घायल करना।

और जबकि केन्द्र सरकार का यह मानना है कि नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] आतंकवाद में शामिल हैं।

अत: अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] तथा इसके सभी घटकों और प्रमुख संगठनों को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल करती है और उक्त प्रयोजन हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, क्रम संख्या 38 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत-स्थापित की जाएंगी अर्थात् :–

"39. नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)], इसके सभी घटक और प्रमुख संगठन।"

[फा.सं. 11011/45/2015-एन ई-V]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

नोट: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची को पिछली बार भारत सरकार की दिनांक 16 फरवरी , 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 534 (अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2015

S.O. 3016 (E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith:

And whereas, clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act defines the terrorist organization to mean an organisation listed in the First Schedule or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act specifies the list of terrorist organisations;

And whereas the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)] , a militant outfit which came into existence in 1988 is active along the Indo-Myanmar border, Dimapur, Mon, Longleng, Phek, Kiphire, Zunheboto and Kohima districts of Nagaland, Changlang, Longding and Tirap districts of Arunachal Pradesh and parts of Tamenglong and Senapati districts of Manipur and has been consolidating its position both organisationally and in terms of weapons and cadres to achieve the objective of a separate 'Sovereign Nagaland State', and has resorted to terrorism as a means to this end by killing innocent civilians and security forces and engaging in other violent activities including robbery, extortion, kidnapping and indiscriminate planting land-mines;

And whereas, the recent violent and terrorist activities of the NSCN(K) include, inter-alia, the following, namely:-

(i) killing one Security Force personnel and two porters and also critically injuring nine Security Force personnel of 14th Assam Rifles at Indo-Myanmar border on 6th February, 2015, falling under Jairam Sub-division of Changlang district, Arunachal Pradesh;

(ii) injuring four Assam Rifles personnel on the 26th March, 2015 by indiscriminately firing upon 19 personnel of Assam Rifles near Indira Gandhi Stadium in district Kohima, Nagaland;

(iii) injuring four civilians by exploding a bomb at PWD Colony, Wokha Town, district Wokha, Nagaland, on the 26th March, 2015;

(iv) killing seven and injuring nine Security Force personnel of Assam Rifles, killing one Security Force personnel of Naga Territorial Army in an ambush on the 3rd May, 2015, at village Changlangshu, under Tobu Police Station of district Mon, Nagaland;

(v) killing 18 and injuring 15 Army personnel of 6 Dogra Regiment on 4th June, 2015 in Chandel District, Manipur in its attack on the Army convoy by using lethal weapons and rocket propelled grenades;

And whereas, the Central Government believes that the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)] is involved in terrorism.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby add the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)] and all its formation and front organisations as a terrorist organisation in the First Schedule to the said Act and for the said purpose makes the following amendments, namely:-

In the First Schedule to the said Act, after serial number 38 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"39. National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)], all its formations and front organisations."

[F. No. 11011/45/2015-NE-V]

M.A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Note : The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide notification of the Government of India's number S.O. 534(E), dated the 16th February, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.